राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

क्रमांक:- प.5(1)(राज-6/97/15 जयपुर, दिनांक:- 2.9.2000

-: परिपत्र :-

विषय:- काश्तकारों की कृषि जोत के विभाजन के प्रकरणों को शीघ्र निपटाने बाबत् ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53(2) में सह-काश्तकारों के बीच कृषि भूमि के आपसी सहमतियां डिक्री के आधार पर बँटवारे के प्रावधान किये हुए है। इसके तहत बने राजस्व मण्डल के नियमों के अनुसार भी कृषि जोत के सहकृषक जोत के मौके विभाजन के अनुसार अथवा आपसीसहमति के अनुसार विभाजन का निष्पादन कर तहसीलदार को प्रस्तुत करते है । तत्पश्चात तहसीलदार उक्त विभाजन को स्वीकर कर अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करते है । यदि सहकृषकों के बीच कोई दावा चल रहा हो एवं सह-कृषक की विभाजन में सहमति हो तो उस आधार पर भी न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की जायेगी ।

कृषि भूमि के बँटवारे को शीघ्र निपटाने के लिए परिपत्र दिनांक 8.9.97 तथा 28.3.2000 जारी किये गये । भूमि के बँटवारे के प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के लिए निरन्तर कार्यवाही की जाये एवं वित्तीय वर्ष में कितने खातों का बँटवारा किया गया सूचित किया जावे । उपर्युक्त नियमों के तहत कार्यवाही करने के लिए आप हलका पटवारी/गिरदावर को यह पाबन्द करें कि वे गांवों में जमाबन्दी पढकर खातेदारों को सुनाये । प्रत्येक गांव की जमाबन्दी के संयुक्त खातों से संबंधित काश्तकारों से सहमति के आधार पर बँटवारा करनेहेतु प्रेरित करें । सहमति की स्थिति में मौके पर फर्द बँटवारा एवं नक्शा ट्रेस बंटवारा तैयार किया जावे एवं काश्तकारों के बीच समझौता संबंधी परचा मौका तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जाये एवं स्वीकृति के बाद रिकार्ड में अमल दरामद कराया जाये ।

इस हेतु विभाजन के मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रयोजन से ग्राम स्तर पर तहसलदार द्वारा सुविधानुसार कैम्प लगाये जावे तथा पटवारी को इस हेतु पूर्व में तैयारी करने के निर्देश दिये जाये । तहसीलदार ग्रामवार कार्यक्रम पहले से ही तैयार कर ले एवं चर्चा कर गांव में सूचना की जाये। तहसीलदार स्वयं मौका स्थल पर जाकर बँटवारा के ओदश, नक्शा तरमीम एवं नामान्तरण की कार्यवाही मौका स्थल पर ही एक ही दिन में सम्पादित करें ।

प्रकरणों की समीक्षा के लिए जिलेवार मासिक प्रगति प्रत्येक माह की 7 तारीख को अर्द्धशासकीय पत्र से पूर्व के परिपत्र दिनांक 28.3.2000 में बताये प्रपत्र के अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं राजस्व मण्डल को प्रेषित की जाये ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें ।

1/9/2000
(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

मनोज/